न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष—डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 30 / 16 वैवाहिक

श्रीमती पुष्पादेवी आयु 32 साल पत्नी राजेन्द्र पुत्री जगदीश जाति जाटव निवासी ग्राम छरेंटा ऐनों तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

—————— आवेदक राजेन्द्र जाटव पुत्र श्री रामभरोसे जाति जाटव आयु 27 साल निवासी ग्राम कुम्हरौआ तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदिका

आवेदक द्वारा श्री शिवराज सिंह तोमर अधिवक्ता आवेदिका द्वारा श्री जी०एस०निगम अधिवक्ता

/ / नि र्ण य / /

// आज दिनांक 07–10–2016 को पारित किया गया //
1– वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिकी पारित किये

जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है ।

ALIMANA PAROLE SUNTA

2— उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुष्पादेवी (जो कि आवेदनपत्र में आवेदिका के रूप में वर्णित किया गया है) एवं राजेन्द्र (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदक के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 15 जून 2007 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था और विवाह के बाद पक्षकार क्र01 राजीखुशी से पक्षकार क्र02 के साथ रहकर पति पत्नी के रूप में जीवन यापन किया | आवेदिका की प्रथम शादी अनावेदक के बड़े भाई मुरारीलाल के साथ दिनांक 30 जून 2002 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार ग्राम

छरेंटा एनो में हुयी थी । पूर्व पित के दाम्पत्य जीवन से कोई पुत्र पुत्री पैदा नहीं हुये थे और आवेदिका के पूर्व पित की 12 अप्रेल 2005 को मृत्यु हो गयी है । इसके उपरांत आवेदिका ने अनावेदक के साथ जो उसका देवर है के साथ पुर्न विवाह किया है । पुर्न विवाह करने के बाद दोनों के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुयी और दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा प्रारम्भ हो गया इसलिये वर्तमान में दोनों पित पत्नी का आपस में रहना मुश्किल हो गया है । दोनों पक्षकारों ने आपस में अलग अलग रहने का निर्णय लियाहै । अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण की राशि उसे अदा कर दी है । अब आवेदिका का अनावेदक से कोई लेना देना शेष नहीं है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में 15 जून 2007 में हुआ पुर्न विवाह को परस्पर सहमित के आधार पर विघटित करने की डिकी पारित करने का निवेदन किया गया है।

- 3— उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 5—4—16 को पेश किया गया उसके उपरांत आगामी तिथियां नियत की गयी | उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 श्रीमती पुष्पादेवी एवं पक्षकार कं02 राजेन्द्र जाटव को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये | पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है | धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है |
- 4— उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया । पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं01 श्रीमती पुष्पादेवी पक्षकार कं02 राजेन्द्र जाटव की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । आपसी सहमित के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह—समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । उभयपक्ष एक वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकार कं01 श्रीमती पुष्पा के द्वारा सम्पूर्ण भरण पोषण पक्षकार कं02 राजेन्द्र से प्राप्त कर लेना स्वीकार किया है ।
- 5— उपरोक्त संबंध में विचार उपरांत उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में

उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :-

1—आवेदक पक्षकार कं02 राजेन्द्र जाटव तथा श्रीमती पुष्पादेवी पक्षकार कं01 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह 15 जून 2007 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे ।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) ्रम् जज २ जला भिण्ड

स्रितिको स्रिति